



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

पंच भवन, डोरण्डा, रांची-८३४००२, Phone-०६५१-२४८१९०९ (O) / २४८०४१३ (F), e-mail-pcc@jharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५३००४००७० / विषय-०१(२०१८-१९) - १९३९

दिनांक: २९ जून

३५८

संजय कुमार, भा०३०८०८०,  
प्रधान मुख्य बन संरक्षक,  
जातरखेड़ रांची।

संग्रह

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं  
मुख्य वन्य प्राणी प्रदिपालक, झारखंड, रांची।

**विषय:** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-दानिकी तथा बन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) शासखंड राजकार, रांची का पत्रांक  
29/बीठी०५०-१०/२०१७-१८/७७/बजट, दिनांक 21.02.2018।

५८४

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में “01- निदेशन एवं प्रशासन”, उपशीर्ष के 29-व्यवसायिक सेवायें इकाई में 5.00 लाख रु० (पाँच लाख रु०) की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-दित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार रांची के पत्रांक--29 / बी०टी०इ०-१०/२०१७-१८ / ७७/बजट रांची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, दित्त विभागीय ज्ञाप सख्त्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
  2. रोकड़ प्रवाह (कैश पलो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक दित्त ४-२३/२००३/१८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  3. आवंटन पत्र गें अकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
  4. यह आवंटन इस कार्यालय के पत्रांक ४४७ दिनांक 28.02.2018 द्वारा पलामू व्याघ योजना में निवास कार्यों के सहसामयिक अनुश्रवण के लिए दिए गए ५.०० लाख रु० के आवंटन तथा पत्रांक ५६० दिनांक ०७.०२.२०१८ के द्वारा दिए गए ७.०० लाख रु० का आवंटन (जिनमें से २.०० लाख रु० उन भूमि अभिक्षेत्र संधारण के लिए तथा ५.०० लाख रु० पलामू व्याघ परियोजना में विकास कार्यों के अनुश्रद्धण एवं मूल्यांकन के लिए था) जिसकी विस्तृत कार्य विवरणी इस कार्यालय के पत्रांक ४०१ दिनांक २९.०१.२०१८ एवम् स्मार पत्रांक ६४४ दिनांक २०.०२.२०१८ में दी जा चुकी थी, के क्रम में दी जा रही है। वर्तमान आवंटित राशि से पलामू व्याघ योजना क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का इस वर्ष (२०१८-१९) में स्वतंत्र सहसामयिक अनुश्रद्धण (Concurrent monitoring) कराया जाय। साथ ही वर्ष २०१७-१८ में कराए गए स्वतंत्र अनुश्रवण प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र समर्पित किया जाय; विदित होगा कि रिट प्राथिका सं० ३५०३/२०१४ विकास महत्तौ बनाम राज्य सरकार एवम् अन्य में इस स्वतंत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर भविष्य में यथाआदश्यकता प्रतिशत्पद पत्र दोषर करना समीनीन होगा।

一一一

आयंटन अदैश पत्र संख्या—BWLD/01-18-19/46B की नूल प्रति अत्र—सह—संलग्न है।

अनु०—यथोः

विश्वासमाजन्

सुभ॒  
२५।४

प्रधान मुख्य वर संरक्षक  
झारखंड रोची।

२५।४



आवंटन आदेश

आरसंड सुरक्षा

## Forest, Environment and Climate Change Department

प्राप्ति ग्रन्थीय दो 2022 19 से इस दिन लिखा विषय का प्राप्ति ग्रन्थीय का समाप्त अधिकार दर्शि अवृत्ति को होता है।

पत्र संख्या - SWLDAJU7-18-9/465

३८

29-May-1

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पटा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001010329 2406 - बर्डलैनी देवा वर्ष प्राप्ता 01 - जारिनी 001 - लिंगेश्वर नदी अधिकार 01 - लिंगेश्वर नदी उभायन 03 - प्रशान्तनी-बन्ध 29 - कलेशाविक योग <b>Establishment Expenditure</b>	29441	DRNFWL076 LAL RATNAKAR SINGH.I.F.S. PCCF WILD LIFE & WL.WARDEN JHA	500.000.00 ५०० रुपये राशि

三

काला योगः

ପ୍ରକାଶକ

**PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST**

#### 2013年世界大学排名